426

संख्याः 2096/XXIV-3/13/02(141)2011

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, देहरादून, दिनांकः 21 फरवरी, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 अर्थ–1/68995/5क(15)/01/2013–14 दिनांकः 20 दिसम्बर, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कतिपय योजनाओं में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण विभिन्न देयकों के भुगतान हेतु संलग्नकों बी0एम0–09 (भाग एक) में (कुल 05 बी0एम0–9 प्रपत्र) इंगित विवरणानुसार अनुदान सं0 11–आयोजनागत के अधीन रू0100+470+300=870 हजार तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 2765+5141=7906 हज़ार इस प्रकार कुल रू0 8776 हजार (रूपये सत्तासी लाख छिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(क) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।

(ख) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बज़ट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(ग) किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बज़ट मैनुअल) व वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्याः 267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ड़) जिला एवं मण्डल स्तर पर संचालित विकास कार्यो का नियमित अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं स्थलीय सत्यापन Task Force गठित कर सुनिश्चित कराया जाय।

(च) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 284/XXVII (1)/2013, दिनांकः 30.03.2013 एवं शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012, दिनांकः 28.03.2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

क्रमशः.....2

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान सं0 11 आयोजनागत/आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा के आय–व्ययक में संलग्नकों (बी0एम0–09) में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 72(NP)205(P)/XXVII(3)2012–13 दिनांकः 18 फरवरी, 2014 में प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2096/XXIV-3/13/02(141)2011 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव–सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल–पौड़ी/कुमायूँ मण्डल–नैनीताल।
7– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
8– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
10– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2, 4 एवं 5 उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
उप सचिव।